

- प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उ0 प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या- 2/2024/आई465018/2024/16-3099/156/2019 दिनांक 05 जनवरी, 2024 में उल्लिखित प्राविधान के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु राज्य द्वारा अनापत्ति (NOC) निर्गत करने की प्रक्रिया (नया संस्थान खोले जाने हेतु आनलाईन आवेदन प्राप्त करने के उद्देश्य से पोर्टल प्रारम्भ किया गया। जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2024 निर्धारित थी।
- नवीन संस्थाओं हेतु प्राप्त आन-लाईन आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:-

SL	Program	No Of Application
1	Computer Application	11
2	Pharmacy	174
3	Engineering and Technology	9
4	Management	15
Total		209

- Total Application- 200
- (Out of 200, Applications of 09 **Colleges were Rejected by Scrutiny Committee**)
- Eight applicants applied to multiple programs.
- शासनादेश दिनांक 05.01.2024 में वर्णित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्कूटनी समिति द्वारा 200 आवेदनों में से संस्तुति 191 संस्थाओं के सत्यापन हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को आन-लाईन सत्यापन हेतु दिनांक 14.02.2024 को आख्या हेतु अग्रसारित कर दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक संस्था की भूमि एवं भवन नक्शा का सत्यापन कराकर सत्यापन रिपोर्ट सहित संस्तुति/असंस्तुति आनलाईन अपलोड कराये जाने की व्यवस्था उपरोक्त शासनादेश में वर्णित है।
- जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति/असंस्तुत प्राप्त संस्थाओं का दिनांक 21.03.2024 तक प्राप्त विवरण निम्नानुसार है:-

आवेदन का प्रकार	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्कूटनी के पश्चात जिलाधिकारी को भेजे गये आवेदनों की संख्या	जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की स्थिति		अभियुक्ति
			जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति	जिलाधिकारी द्वारा असंस्तुति	
नवीन संस्थान	200	191	106	26	09 संस्थाओं के आवेदनों को स्कूटनी समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

शासनादेश दिनांक 05.01.2024 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति 102 संस्थाओं के अनापत्ति निर्गत किये जाने के लिए पत्र दिनांक 15.03.2024 को शासन को प्रेषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के सत्यापन के उपरान्त शेष संस्थाओं के अनापत्ति निर्गत किये जाने के लिए पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

- शासनादेश दिनांक 05.01.2024 में वर्णित व्यवस्था के क्रम में विश्वविद्यालय से पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु आनलाईन आवेदन प्राप्त करने के उद्देश्य से पोर्टल प्रारम्भ किया गया। जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2024 निर्धारित थी।
- पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं से प्राप्त आन-लाईन आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:-

Course Name	Additional Course	Increase In Intake	Closure Of Course/Branch	Reduction In Intake	Institute Closure	Progressive Closure	Institute Merger
Bachelor of Technology	32	41	17	21			
Bachelor of Pharmacy	2	24	1	1			
B Voc	1	0	1	0			
BBA/BMS	23	0	0	0			
BCA	24	0	0	0			
BHMCT	2	0	0	0			
MCA	15	6	1	2			
Master of Pharmacy	58	3	0	0			
Master of Technology	10	3	5	0			
MBA	5	11	2	3			
MBA(Integrated)	1	1	1	0			
MCA(Integrated)	1	0	0	0			
PHARM D	4	0	0	0			
Bachelor of Architecture	0	0	0	1			
Total	178	89	28	28	3	2	2

कुल 178 संस्थाओं द्वारा आवेदन किया गया है।

- प्राप्त आवेदनों पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भिक स्कूटनी के पश्चात 71 संस्थाओं में इंगित कमियों के निवारण हेतु 03 दिवस का समय देते हुए अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है। प्राप्त कमियों के पुनः स्कूटनी समिति की आख्या के उपरान्त अनापत्ति निर्गत किये जाने के लिए पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।